कार्यालय – जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

सार्वजनिक सूचना

बाह्य न्यायालय महरौनी परिसर में कैंटीन (चाय, नमकीन, मीठा, चाट, फल जूस व शीतल पेय पदार्थ) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये दिनांक 28.03.2022 को अपरान्ह 04:30 से 06:30 बजे तक सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय, ललितपुर में नीलामी समिति की देख-रेख में ठेकों की नीलामी हेतु तिथि नियत की गयी थी किन्तु इसमें कोई भी बोलीदाता उपस्थित नही आया था । जिसके कारण बाह्य न्यायालय परिसर महरौनी कैंटीन की नीलामी नही की जा सकी थी । इसके पश्चात उपरोक्त कैंटीन की ठेके की नीलामी दिनांक 18-04.2022 को नियत की गयी थी किन्तु बोली दाता द्वारा अधिकतम बोली 35,000 /- बोली गयी थी किन्तु बोली पर्याप्त न होने के कारण कैंटीन की नीलामी नहीं की जा सकी थी । तत्पश्चात उपरोक्त कैंटीन की नीलामी हेतु समिति द्वारा दिनांक 28.04.2022 नियत की गयी । किन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित नही आया । इसके पश्चात नीलामी समिति द्वारा दिनांक 17.05.2022 को समय 01:30 बजे अपरान्ह से 03:00 बजे तक नियत की गयी । किन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित नही आया जिसके कारण उपरोक्त कैंटीन की नीलामी नही की जा सकी । पुनः नीलामी समिति द्वारा दिनांक 26.05.2022 को नीलामी की तिथि नियत की गयी किन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित नही आया । जिससे बाह्य न्यायालय, महरौनी कैंटीन की नीलामी नही की जा सकी । तत्पश्चात नीलामी समिति द्वारा दिनांक 15.06.2022 को नीलामी की तिथि नियत की गयी किन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित नही आया । पुनः दिनांक 11.07.2022 को नीलामी की तिथि नियत की गयी किन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित नही आया । पुनः दिनांक 26.07.2022 को नीलामी हेतु तिथि नियत की गयी किन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित नही आया ।

अत: बाह्य न्यायालय परिसर महरौनी भवन में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिये कैंटीन ठेके की नीलामी दिनांक 05.09.2022 को सायंकाल 05:00 से 06:30 बजे तक सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय, ललितपुर में नीलामी समिति की देख-रेख में सम्पन्न की जायेगी । नीलामी हेतु आवश्यक सूचना निम्नवत है :-

01. नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी । यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी । जिस व्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी ।

02. उन बोली दाताओं को नीलामी में भाग लेने नही दिया जायेगा, जिन पर ठेको की वावत पिछले वित्तीय वर्षो का कोई बकाया शेष हो ।

03. बोली स्वीकृत होने पर कैंटीन के ठेके की सुरक्षा धनराशि रू० 15,000 /- तथा नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि 50% राशि नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त तथा शेष राशि दो समान किश्तों में जुलाई व अक्टूबर 2022 में जमा करानी होगी । उपरोक्तानुसार धनराशि न जमा कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी ।

04. प्रत्येक बोली दाता निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगा ।

05. नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा ।

06. नीलामी की प्रक्रिया को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा ।

07. नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित ठेके के वाबत अनुबन्ध अंकन 100 रू० के स्टाम्प पर नियमानुसार निष्पादित करा कर दाखिल करना होगा । स्टाम्प नीलाम क्रेता को स्वयं क्रय कर प्रस्तुत करना होगा ।

08. ठेकेदार को बाह्य न्यायालय महरौनी परिसर भवन में स्थित कैंटीन में ठेकेदार द्वारा अपना अस्थाई प्रबन्ध कर निर्धारित कार्य करेगें ।

09. जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात व बोली स्वीकार करने के पश्चात नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं करेगें तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।

10. यह आवश्यक नही है कि अधिकतम बोली लगाने वाला प्रत्येक दशा में स्वीकार किया जाये ।

11. प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलते समय अपना पहचान पत्र / आधार कार्ड, एक फोटो तथा मोबाइल नम्बर जमा करना होगा ।

12. ठेका बाह्य न्यायालय परिसर महरौनी भवन में कैंटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिये दिया जायेगा ।

13. नीलामी की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, ललितपुर को होगा

14. कैंटीन हेतु विद्युत संयोजन स्वयं के व्यय पर लेना होगा । विद्युत संयोजन लेने व नीलामी स्वीकार होने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा विद्युत की रसीद / कनेक्शन संख्या कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दाखिल करनी होगी । प्रतिष्ठान पर बिना वैध कनेक्शन के विद्युत संयोजन पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।

15. प्रत्येक बोलीदाता / ठेकेदार को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही हैं ।

16. नीलामी पुष्ट हो जाने के पश्चात शर्तों के अनुसार ठेका कैंटीन तुरन्त चालू करनी होगी ।

धरोहर राशि का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :-

क्रमांक	**ठेके का विवरण**	**धरोहर राशि का विवरण**	**कैंटीन संचालित करने का स्थान**
01.	कैंटीन बाह्य न्यायालय, महरौनी	रू० 15,000 = 00	बाह्य न्यायालय, महरौनी कैंटीन भवन में

26/8/22
(मेराज अहमद),
सदस्य नीलामी समिति,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ललितपुर ।

26/8/22
(मो० बाबर खान),
सदस्य नीलामी समिति,
अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (S.C. / S.T.),
ललितपुर ।

26/8/22
(गुलाब सिंह – II),
अध्यक्ष नीलामी समिति,
अपर जिला जज (प्रथम),
ललितपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

01- नाजिर सदर, कार्यालय जिला अधिकारी, ललितपुर ।
02- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिसद, ललितपुर ।
03- सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।
04- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को दैनिक समाचार पत्र में शासनादेश सं० 562 / 19 – 02 – 2007 – 1007 / 74 (T.C) (सूचना अनुभाग 02 लखनऊ) दिनांकित 04.07.2007 के अनुपालन में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित ।
05- सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, ललितपुर को जनपद न्यायालय ललितपुर व माननीय उच्च न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
06- अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, महरौनी ।
07- उप-नाजिर, बाह्य न्यायालय, महरौनी ।

आज्ञानुसार नीलामी समिति,
26/08/22
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, ललितपुर ।